



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 23 मार्च, 2024

थाना पहासू

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड 01 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद।

जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2024 की रात्रि में थाना पहासू पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांव भैयापुर में 01 अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पहासू पर मुअसं- 61/2024 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सुनील पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भैयापुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
- 02 तमंचे 12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस
- 04 अधबने तमंचे
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण-** 01 आरी, 02 ब्लेड, 03 छोटी-बड़ी छेनी, 01 हैन्ड्रल मशीन व 01 गैस चूल्हा व 01 इमरजेन्सी लाइट व 07 ट्रिगर , 01 हैमर, छोटी-बड़ी 04 रेती , 08 ड्रिल मशीन पर रखने के सांचे, 01 गोल रेती, 03 अदद 12 बोर नाल के टुकड़े, 10 लकड़ी की चाप , 01 प्लास , 01 पेंचकस , 02 हथौड़ी छोटी बड़ी, 01 मिस कारतूस 12 बोर, 01 संडासी, 01 लोहे की पत्ती, काटने का कटर , 02 ड्रिल मशीन की बिट, कुछ रेगमार्क पत्ता , छोटी रिपीट,आदि।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास -

- मुअसं- 357/08 धारा 304-B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-192/11 धारा 356/411 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-230/11 धारा 356/411 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-218/11 धारा 110 जी दप्रस थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-231/11 धारा 307/420/467/468/471/472 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-232/11 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-249/11 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-116/13 धारा 3(1)यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-93/14 धारा 3(1)यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-281/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-59/18 धारा 380 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-83/18 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-717/22 धारा 392/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-718/22 धारा 392/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-115/23 धारा 323/504 भादवि व 3(1) SC/ST एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-06/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-128/23 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि० थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
- मुअसं-61/24 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि० थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पछताछ पर बताया गया कि उनके द्वारा तमंचे तैयार कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आस-पास के क्षेत्रों में बेच देते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अशोक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहासू
2. व0उ0नि0 बृजमोहन सिंह, उ0नि0 रामवीर सिंह, उ0नि0 विजय कुमार, उ0नि0 जयवीर सिंह
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 कृष्णकान्त, का0 अमित कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर